न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 24/2024

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड कार्यालय एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई 400013, क्षेत्रीय कार्यालय 4th फ्लोर, टाईम स्कवायर बिल्डिंग सेन्ट्रल स्पाईन, विधाधर नगर, जयपुर राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी तरूण यादव

...प्रार्थी

बनाम

1. नरपत सिंह गुर्जर पुत्र सुवा लाल निवासी भैरू जी का बास, सिकन्दरा, तहसील– सिकराय जिला– दौसा राजस्थान
2. सुवालाल गुर्जर पुत्र छाजू राम गुर्जर, निवासी अदावली की ढाणी, सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा राजस्थान

ऋणी/सहऋणी)

3. राजेश कुमार गुर्जर पुत्र हरिसिंह गुर्जर, निवासी गांवरी, सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा राजस्थान

गारन्टर

प्रत्यर्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसैटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 (केन्द्रीय धारा 54/2002)

उपस्थित : श्री बी0पी0 गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u> दिनांकः 01.05.2024

प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण नरपत सिंह गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल व अन्य को दिनांक 17.02.2020 को 17,00,000/– रूपये ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में प्रार्थना पत्र की मद सं.–2 (11) में वर्णित संपति को प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के हक मे बंधक रखा था किन्तु अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध की शर्तो के अनुसार किश्तों की समय पर अदायगी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 01.04.2023 को अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए.श्रेणी में वर्गीकृत किया गया तथा दिनांक 16.09.2023 तक प्रार्थी/बैंक/कम्पनी के अप्रार्थीगण की तरफ 20,62,137/– रूपये निकलते है, जिनके संबंध में प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा अप्रार्थी को **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 18.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया गया, किन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी की बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाई है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधकशुदा संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 (11) मे दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पति/जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद सख्या–2 (11) में दिया गया है, का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी को दिलाये जाने कें संबंध में नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आये कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋण राशि का एग्रीमेंट की शर्तो के अनुसार नियमानुसार भुगतान नही किया है जिसके कारण कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी ने अप्रार्थी के ऋण खाते को दिनांक 01.04.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है तथा इसके पश्चात प्रार्थी/बैंक/कंपनी के द्वारा धारा 13(2) के नोटिसों का समुचित रूप से तामील/प्रकाशन कराये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी के द्वारा विहित समयावधि के भीतर बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी/बैंक/कंपनी को नहीं किया है जिससे प्रार्थी/बैंक/कंपनी बंधक संपति जिसका कि विवरण प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 (11) मे दिया गया है का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है।

अतः प्रार्थी एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0 के द्वारा प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 **Securitisation and Reconstrucation of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 (11) में वर्णित संपति वार्ड नम्बर 02 ग्रीनपार्क कॉलोनी बांदीकुई जिला दौसा राज0 मे नरपत सिंह गुर्जर के स्वामित्व व आधिपत्य का स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 267.06 वर्गगज है का कब्जा प्रार्थी/बैंक/कंपनी के अधिकृत अधिकारी को दिलाये जाने एवं पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, दौसा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी/बैंक/कंपनी द्वारा नियमानुसार खर्चा जमा करवाये जाने पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01 मई, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Devendra 1/5/24

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 11:00:40 IST
Reason: SelfAttested